क्रम-संख्य–103

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 जुलाई, 2020

आषाढ़ 19, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग–5

संख्या 1430/पाँच-5–2020

लखनऊ, 10 जुलाई, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०–37

महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम

1–यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2020 कही जाएगी।

विनियम 15 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान विनियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
15– शास्तिः (1) इस विनियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45	**15–शास्तिः** (1) इस विनियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हुए पाया गया कोई व्यक्ति/संस्था/संगठन, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।	सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति/ संस्था/संगठन को दण्डित कर सकता है, यदि वह इस विनियमावली के उपबन्धों या इस विनियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है।
2–अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह, भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगा।	2–अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह, भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगा।
3–किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगाः– (1) प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू.100 (सौ रूपये मात्र); (2) तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र)।	3–किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर उसे रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र) जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
4–ऐसे व्यक्ति, जो कोविड–19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगाः– (1) प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना रू.100 (सौ रूपये मात्र), जो रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है; (2) द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र), जो रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र) तक हो सकता है; (3) द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र)।	4–ऐसे व्यक्ति, जो कोविड–19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर उसे निम्नलिखित जुर्माना से दण्डित किया जायेगाः– (1) प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना रू.100 (सौ रूपये मात्र), जो रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र) तक हो सकता है; (2) द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र), जो रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र) तक हो सकता है; (3) द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र)।

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
5–दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने परः– (1) प्रथम बार के लिये जुर्माना रू.250 (दौ सौ पचास रूपये मात्र); (2) द्वितीय बार के लिये जुर्माना रू.500 (पांच सौ रूपये मात्र); (3) तृतीय बार के लिये जुर्माना रू.1000 (एक हजार रूपये मात्र); (4) तृतीय बार के पश्चात् वाहन चलाने का लाईसेंस निरस्त किया जाना/निलम्बित किया जाना; परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में, दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाना होगा। **टिप्पणी** :– इन समस्त मामलों में जुर्माना प्रशमित किए जाने की शक्ति, सम्बन्धित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो किन्तु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी।	**टिप्पणी** :– इन समस्त मामलों में जुर्माना प्रशमित किए जाने की शक्ति, सम्बन्धित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो किन्तु निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1430/V-5–2020, dated July 10, 2020 :

No. 1430/V-5–2020

Dated Lucknow, July 10, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020.

THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19 (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

Short title

1. These regulations may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 (Fourth Amendment) Regulations, 2020.

Amendment of regulation 15

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease, Covid-19 Regulations, 2020, *for* existing regulation 15 setout in column-1 below, the regulation as setout in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing regulation	*Regulation as hereby substituted*
15. Penalty : (1) Any person/ institution/organization found violating any provision of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code 1860 (Act no. 45 of 1860). Competent authority may penalize any person/institution/ organization if found violating provisions of these regulations or any other further orders issued by Government under these regulations. 2. Further any act of violence committed by any person against a health care service personnel serving during an epidemic or cause any damage or loss to any property during an epidemic shall be punishable under the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 issued by the Government of India. 3. Any person who does not wear face cover (Mask), Gamacha, Handkerchief or Dupatta/ Scarf or spits at any public place or out side home shall be punished with fine as follows:- (1) For first and second time with fine of Rs.100 (Hundred Rupees Only); (2) For third and for every subsequent time with fine of Rs.500 (Five Hundred Rupees Only).	15. Penalty : (1) Any person/ institution/ organization found violating any provision of these regulations shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of the Indian Penal Code 1860 (Act no. 45 of 1860). Competent authority may penalize any person/institution/ organization if found violating provisions of these regulations or any other further orders issued by Government under these regulations. 2. Further any act of violence committed by any person against a health care service personnel serving during an epidemic or cause any damage or loss to any property during an epidemic shall be punishable under the Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 issued by the Government of India. 3. Any person who does not wear face cover (Mask), Gamacha, Handkerchief or Dupatta/Scarf at any public place or spits at any public place or out side home shall be punished with fine of Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only).

COLUMN-I *Existing regulation*	COLUMN-II *Regulation as hereby substituted*
4. Violation of Lock-Down by person who is not suffering with Covid-19 shall be punished with fine as follows:- (1) For first time with minimum fine Rs. 100 (Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only); (2) For second time with fine of Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 1000 (One Thousand Rupees Only); (3) After second time for every violation or repetition with fine of Rs. 1000 (One Thousand Rupees Only).	4. Violation of Lock-Down by person who is not suffering with Covid-19 shall be punished with fine as follows:- (1) For first time with minimum fine Rs. 100 (Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only); (2) For second time with fine of Rs. 500 (Five Hundred Rupees Only) which may be extended upto Rs. 1000 (One Thousand Rupees Only); (3) After second time for every violation or repetition with fine of Rs. 1000 (One Thousand Rupees Only). NOTE :- In all these matters the power of compounding of fine shall be vested in the related Court or executive magistrate or the police officer who is above the rank of the police officer making the Challan but not below the rank of the Inspector.
5. Pillion traveling on Two Wheeler:- (1) For first time with fine of Rs.250 (Two Hundred Fifty Rupees Only); (2) For second time with fine of Rs.500 (Five Hundred Rupees Only); (3) For third time with fine of Rs.1000 (One Thousand Rupees Only); (4) After third time Cancellation/ Suspension of driving licence : Provided that in urgent circumstances with the permission of the executive magistrate, two persons can travel on a two wheeler with the condition that the pillion rider must wear helmet which covers whole face and must also wear face cover and gloves. NOTE :- In all these matters the power of compounding of fine shall be vested in the related Court or executive magistrate or the police officer who is above the rank of the police officer making the Challan but not below the rank of the Inspector.	

By order,

AMIT MOHAN PRASAD,

Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 106 राजपत्र–(हिन्दी–2020–(213)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 चिकित्सा–2020–(214)–250 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।